राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ 27 (201) ग्रावि/ग्रुप–5/जीकेएन/सरपंच संघ ज्ञापन /2015–16 जयपुर, दि. 31/03/2016

::बैठक कार्यवाही विवरण::

शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में संरपच संघ राजस्थान के ज्ञापन दिनांक 17.02.2016 में वर्णित 12 मांगो के सम्बंध में विचार विमर्श हेतु संरपच संघ के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 30.03.2016 को अपरान्त 03:30 बजे बैठक आयोजित की गई। जिसमें उपस्थिति अधिकारियों की सूची परिशिष्ठ–1 पर सलंग्न है।

बैठक में संरपच सघ के उपस्थित प्रतिनिधियों के साथ बिन्दुवार विस्तृत चर्चा की गई। चर्चा उपरान्त निम्न मांगों के क्रम में जारी आदेश/निर्देशों पर सहमति रही।

मांग संख्या	मांग	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की स्थिति	विशेष विवरण
2.	ग्राम पंचायतों में प्रतिदिन किये जाने वाले अलग–अलग अंकेक्षण (एल.एफ.डी./ए.जी./सी.ए.जी./पंचायत दिवस/सोशियल ऑडिट/ इंटरनल ऑडिट) पर रोक लगाई जावे एवं एक ही विभाग से अंकेक्षण करवाये जाने के आदेश प्रसारित किये जावे। जिससे कि समय व धन दोनों के अपव्यय पर प्रभावी नियंत्रण हो सके एवं सरपंच/सचिव को दी जाने वाली मानसिक प्रताडना से बचा जा सके।	पंचायती राज संस्थाओं द्वारा संपादित विभिन्न निर्माण कार्यो के अंकेक्षण हेतु किये जा रहे विभिन्न अंकेक्षणों के सरलीकरण हेतु विभागीय कमेटी का गठन किया जा चुका है। जिसकी रिपोर्ट के अनुसार अपेक्षित आदेश जारी कर दिये गये है प्रति संलग्न है।	आदेश जारी
6.	ग्रामीण विकास विभाग की समस्त योजनाओं में 5 लाख रू. तक के प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अधिकार एवं 2 लाख रू. तक की तकनीकी स्वीकृति के अधिकार ग्राम पंचायतों को देने के आदेश प्रसारित किये जावे।	ग्राम पंचायतो को निर्माण कार्यो की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने के अधिकार राशि रू. 2.50 लाख को बढाकर 10.00 लाख रू. तक की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने के क्रम में आदेश जारी कर दिये गये है।	परिपत्र जारी
7.	जनता जल योजना एवं अन्य पेयजल योजनाओं के विद्युत बिलों का भुगतान ग्राम पंचायतों को प्राप्त अनुदानों से किये जाने के विभागीय आदेशों को निरस्त किया जावे एवं इसका भुगतान पूर्व की भांति जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से करवाये जाने के आदेश प्रसारित किये जावे।	जनता जल योजनाओं के विद्युत बिल का भुगतान हेतु राज्य स्तर से ही राशि का प्रावधान कर दिया गया है।	आदेश जारी
8.	पक्के निर्माण कार्यो में आवश्यक मशीनरी के उपयोग की स्वीकृत प्रदान की जावे। (पथरीले क्षेत्रों में नींव खुदाई, पूर्व की बनी पक्की सडकों की तुडवाई आदि)	पक्के निर्माण कार्य में आवश्यक मशीनरी के उपयोग की स्वीकृति पूर्व से ही है। इस क्रम में सामान्य निर्देश पुनः जारी कर दिये गये है।	पत्र जारी

सरपंच संघ की निम्न मागों पर जारी निर्देशों/आदेशों के क्रम में प्राप्त सुझावानुसार अपेक्षित कार्यवाही कराने पर सहमति व्यक्त की है।

मांग संख्या	मांग	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की स्थिति	विशेष विवरण
4.	भण्डारण पंजिका के संधारण की दूषित एवं अव्यवहारिक प्रक्रिया को बंद किया जावे एवं मूल्यांकन के उपरांत कन्जम्शन के आधार पर आपूर्तिकर्ता फर्म को सामग्री के भुगतान के आदेश प्रसारित किये जावे।	भंडार पंजिका संधारण की प्रकिया के सरलीकरण किये जाने के क्रम में विभाग द्वारा गठित समिति की राय अनुसार अपेक्षित आदेश जारी किये जा चुके है बैठक में प्राप्त सुझावों का परीक्षण कर निम्न कार्यवाही की जावेगी।	आदेश जारी

सरपंच संघ की निम्न मागों पर विभागीय कार्यवाही अभी प्रक्रियाधीन है के क्रम में शीघ्र कार्यवाही कराने का बाबत अवगत कराया गया।

मांग संख्या	मांग	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की स्थिति	विशेष विवरण
3.	जिला दर निर्धारण समिति को अर्द्धकुशल श्रमिक (बेलदार) की दर प्रचलित बाजार दर (300–450) के आधार पर निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया जावे।	अर्द्धकुशल (बेलदार) की वर्तमान में श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दर 189/– रू. प्रतिदिन प्रभावी है, जिसे सार्वजनिक निर्माण विभाग बीएसआर में प्रचलित श्रेणीवार दर निर्धारण के प्रस्ताव श्रम विभाग को उनके निर्देशों अधिनियमों के परिपेक्ष में मार्ग दर्शन हेतु प्रस्तुत किये गये है। श्रम विभाग से प्राप्त राय अनुसार आवश्यक निर्देश जारी किये ज़ावेगें।	श्रम विभाग को प्रेषित अ.शा.टीप के क्रम में पुनः अनुरोध कर एक सप्ताह में निर्देश हेतु प्रयास किये जायेगें। **(ग्रामीण विकास के स्तर पर)**
5.	राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 181 में प्रसारित नई निर्माण नीति की जटिलताओं को दूर कर सरल निर्माण नीति जारी की जावे, जिसमें धरोहर राशि की अवधि 2 वर्ष की जगह छः माह की जावे, अन्य विभागों की तरह संवेदक का 10 प्रतिशत लाभांश सम्मिलित किया जावे।	पंचायतीराज विभाग द्वारा पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 181 में प्रसारित निर्माण नीति की जटिलताओं को दूर करने के क्रम में सरपंच संघ अथवा ग्रामसेवक संघ से सुझाव आमंत्रित किये गये है, जिसके आधार पर पंचायतीराज नियम 181 में एवं ग्रामीण कार्य निर्देशिक 2015 में आवश्यक सुझावों का समावेश कर तदनुसार पूर्ण प्रक्रिया के सम्बंध में विस्तृत निदेश जारी कर दिये जावेगें।	जीकेएन 2015 के अन्तर्गत प्रावधान अनुसार तकनीकी अनुमोदन की समिति की बैठक में परीक्षण कराकर तदनुसार शीघ्र कार्यवाही की जावेगी। **(पंचायती राज के स्तर पर)**
11.	ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवकों के पद रिक्त होने के कारण सरकार की समस्त जनकल्याणकारी योजनाओं का कियान्वयन नहीं हो पा रहा है। जिससे ग्रामीण जनता एवं जनप्रतिनिधियों में भारी असंतोष है।अतः ग्रामसेवकों की शीघ्र भर्ती की जावे।	ग्राम सेवकों की भर्ती के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं।	प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। **(पंचायती राज के स्तर पर)**
12.	सहमति के आधार पर भूमि प्राप्त कर संगल फेज बोरिंग एवं टंकी निर्माण कराने के आदेश प्रसारित किये जावे।	सहमति के आधार पर निजी भूमि पर सिंगल फेज बोरिंग एवं टंकी निर्माण के क्रम में पंचायती राज विभाग के स्तर पर विधिक परीक्षण प्रक्रियाधीन है।	प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। **(पंचायती राज के स्तर पर)**

इसी क्रम में सरपंच संघ से प्राप्त शेष मांगो पर विभागीय प्रस्ताव के क्रम में वित्त विभाग की सहमति/राय अनुसार अपेक्षित कार्यवाही की जा सकेगी।

क्रं. सं.	मांग	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की स्थिति	विशेष विवरण
1.	बीएसआर दर पर सामग्री खरीद के आदेश प्रसारित किये जावे।	बीएसआर दर पर सामग्री खरीद के क्रम में राजस्थान राजपत्र दिनांक 11.1.2016 को संशोधन प्रकाशित हुआ है, जिसकी अनुपालना में सामग्री क्रय किये जाने की प्रक्रिया वित विभाग से निर्धारित कराकर विभागीय निदेश राजस्थान राजपत्र साधारण के अंक दिनांक 16.03.2016 को राजस्थान राजपत्र प्रकाशित हो चुकी है जो कि विधानसभा के पटल के उपरान्त विभागीय पत्र दिनांक 28.03.2016 के द्वारा जारी कर दिये गये हैं। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत वित विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.03.2016 के क्रम में बीएसआर दर पर सामग्री के क्रय करने के सम्बंध में मनरेगा एक्ट के प्रावधानों के अनुसार राय हेतु पत्रावली वित्त विभाग के स्तर पर विचाराधीन है।	विभागीय योजनाओं के क्रम में निर्देश जारी। मनरेगा एक्ट हेतु वित्त विभाग को प्रस्तुत। **(महात्मा गांधी नरेगा अनुभाग के स्तर पर)**
9.	ग्राम पंचायत स्तर पर प्रतिदिन आयोजित होने वाले शिविरों एवं अभियानों के लिए ग्राम पंचायतों को अलग से बजट आवंटित किया जावे।	ग्रा.प. स्तर पर आयोजित शिविर व अभियानों के लिए आवश्यक बजट के क्रम में वित विभाग को प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये जो प्रक्रियाधीन है।	प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। **(पंचायती राज के स्तर पर)**

10.	सरपंचों का मानदेय 3500/– रू. से बढाकर 10000/– रू. किया जावे, यात्रा भत्ता बढाया जावे एवं सरपंचों को टोल फ्री पास उपलब्ध करवाया जावे।	मानदेय संबंधी प्रस्ताव पंचायती राज विभाग द्वारा वित्त विभाग को प्रस्तुत किये है जो प्रक्रियाधीन है।	प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। **(पंचायती राज के स्तर पर)**

अंत में बैठक सधन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(के.के. शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
5. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गॉधी नरेगा, ग्रामीण विकास विभाग।
6. निजी सचिव, आयुक्त, जल ग्रहण विकास एवं भू सरक्षण विभाग, जयपुर।
7. अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि), ग्रामीण विकास।
8. अधीक्षण अभियन्ता (प्रो.), पंचायती राज।
9. अधीक्षण अभियन्ता (ईजीएस), महात्मा गॉधी नरेगा, ग्रामीण विकास।
10. परि.निदेशक एवं उप सचिव (एसएपी),ग्रामीण विकास। को website पर upload हेतु
11. अध्यक्ष, राजस्थान संरपच संघ, जयपुर।
12. श्री मंगलाराम मीणा, प्रदेश उपाध्यक्ष, राजस्थान संरपच संघ, जयपुर।
13. श्री बाबूलाल टोडावत, प्रदेश मंत्री, राजस्थान सरपंच संघ।
14. श्री बलवीर शर्मा, प्रदेश महामंत्री, राजस्थान सरपंच संघ।
15. श्री रामदेव सिंह रावत, सरपंच ग्रा.प. राजगढ(अजमेर)।
16. श्री किरण सिंह रावत, सरपंच।
17. श्री शक्ति सिंह रावत, सरपंच ग्रा.प. केशवपुरा, (अजमेर)।
18. श्री हेमराज शर्मा, सरपंच, ग्रा.प. मन्दरपुरा, (हनुमानगढ)।
19. रक्षित पत्र।

31/3/16
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में राजस्थान संरपच संघ के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 30.03.2016 को आयोजित बैठक में उपस्थित अधिकारी / जनप्रतिनिधियों की सूची :–

क्र.स.	नाम अधिकारी
1.	श्री के.के. शर्मा, अधीक्षण अभियंता,ग्रामीण विकास
2.	श्री विजय चौधरी, परि.निदेशक एवं उप सचिव (एसएपी),ग्रामीण विकास
3.	श्री मुकेश महेश्वरी, अधीक्षण अभियंता (प्रो.), पंरावि
4.	श्री राधेश्याम मीणा, वित्तीय सलाहकार, महात्मा गांधी नरेगा
5.	श्री सिरमोर मीना, वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास
6.	श्री अरविन्द्र सक्सैना, अधिशाषी अभियंता, महात्मा गांधी नरेगा
7.	श्री मंगला राम मीणा, प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान सरपंच संघ
8.	श्री बाबूलाल टोडावत, प्रदेश मंत्री, राजस्थान सरपंच संघ
9.	श्री बलवीर शर्मा, प्रदेश महामंत्री, राजस्थान सरपंच संघ
10.	श्री रामदेव सिंह रावत, सरपंच राजगढ(अजमेर)
11.	श्री किरण सिंह रावत, सरपंच
12.	श्री शक्ति सिंह रावत, सरपंच ग्रा.प. केशवपुरा, (अजमेर)
13.	श्री हेमराज शर्मा, सरपंच, ग्रा.प. मन्दरपुरा, (हनुमानगढ)